भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2333

गुरूवार, 12 मार्च, 2026 / 21 फाल्गुन, 1947, (शक)

असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना

2333. श्री संदोष कुमार पी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्माण श्रमिकों, घर पर काम करने वाले कामगारों, व्यापारियों और अन्य असंगठित कामगारों के लिए वर्तमान में कोई पेंशन योजना मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास इन कामगारों के लिए पेंशन योजना लागू करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें संनिर्माण कामगार, गृह आधारित कामगार, व्यापारी और अन्य समान श्रेणियों के कामगार शामिल हैं। इनका ब्यौरा इस प्रकार हैं:

(i) प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम):

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना फरवरी, 2019 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों जैसे संनिर्माण कामगारों, गृह आधारित कामगार, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू आधारित कामगार और अन्य समान श्रेणियों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत, 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले असंगठित कामगारों को 3000 रुपये की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है, और पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन के 50% के लिए पात्र हैं। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के कामगार जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं और आयकर दाता नहीं हैं और जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, वे इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। लाभार्थी द्वारा मासिक अंशदान लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर 55 रुपये से 200 रुपये तक होता है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार द्वारा एक समान अंशदान का भुगतान किया जाता है। इस योजना में नामांकन सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से किया जाता है, जिनके पास देश भर में लगभग 4 लाख केंद्रों का नेटवर्क है। पात्र असंगठित कामगार www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर भी स्व-नामांकन कर सकते हैं।

जारी..2/-

(ii) व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस-ट्रेडर्स):

व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना सितंबर, 2019 में शुरू की गई थी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जो छोटे और कामकाजी व्यापारियों, दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000/- रुपये की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के व्यापारी, दुकानदार और स्व-नियोजित व्यक्ति, जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित)/पीएम-एसवाईएम के सदस्य नहीं हैं और आयकर दाता नहीं हैं, इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। लाभार्थी द्वारा मासिक अंशदान लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर 55 रुपये से 200 रुपये तक होता है, और केंद्र सरकार द्वारा एक समान अंशदान का भुगतान किया जाता है। इस योजना में नामांकन सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से किया जाता है, जिनके पास देश भर में लगभग 4 लाख केंद्रों का नेटवर्क है। इसके अलावा, पात्र व्यक्ति www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर भी स्व-नामांकन कर सकते हैं।
